# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 518/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1– अर्जुनराम पुत्र रूगनाथराम<br>2– भगवानाराम पुत्र रूगनाथराम<br>3– भागीरथ पुत्र रूगनाथराम<br>4– भंवरलाल पुत्र रूगनाथराम<br>5– किसनाराम पुत्र हडमानराम<br>6– सुनील पुत्र किसनाराम<br>7– भगवानाराम पुत्र गणपतराम<br>8– बनवारी पुत्र गणपतराम<br>9– बंशीलाल पुत्र धोकलाराम<br>10–राकेश पुत्र भंवरलाल विश्नोई<br>11–भीयाराम पुत्र पन्नाराम<br>12–सहीराम पुत्र भीयाराम<br>13–श्यामलाल पुत्र भीयाराम<br>14–ओमप्रकाश पुत्र अर्जुनराम<br>15– अशोक पुत्र भागीरथ<br>सभी जातियान विश्नोई<br>निवासीगण राणेरी रामनगर,<br>तहसील बाप जिला जोधपुर | | 1– मगनाराम पुत्र हिरकनराम<br>2– सांवताराम पुत्र हिरकनराम<br>जातियान विश्नोई निवासी ग्राम<br>रामनगर (राणेरी) तहसील फतोदी<br>जिला जोधपुर<br>3– उप/नायब तहसीलदार बाप<br>जिला जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17–6–2016 जो अपर जिला कलेक्टर, फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 18/2012 अनवान मगनाराम बनाम नायब तहसीलदार बाप मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री देवीलाल व्यास अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 2 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 7–12–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता हिरकनराम पुत्र जालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी को तत्कालीन तहसीलदार फलोदी द्वारा मिसल संख्या 150/1970 दिनांक 21–12–1970 के जरिये ग्राम राणेरी के खसरा नंबर 880 रकबा 576 बीघा भूमि मे से 65 बीघा का नियमन किया गया था । आवंटी हिरकनराम संवत 2030 मे फौत हो गया तथा तत्समय रेस्पो0 संख्या 1 व 2 नाबालिग थे । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से जानकारी हुई कि उसके पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है तो रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी फलोदी को जरिये प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज कराने का निवेदन किया । जिस पर उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने जांच रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन भूमि राजस्व रेकर्ड

मे नियमानुसार अमल दरामद करने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना मे पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 19 ग्राम अनोपनगर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 24–1–2001 एवं तहसीलदार फलोदी के द्वारा मिसल संख्या 150/70 दिनांक 12–12–70 के नियमन आदेश की पालना मे भरकर पेश किया जिस पर उप तहसीलदार बाप ने बिना रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को सुनवाई का अवसर दिये मूल आवंटन आदेश के अभाव मे तथा आवंटन को संदेहास्प्रद होने के नोट के साथ उक्त म्युटेशन को खारीज कर दिया जिसकी जानकारी पटवारी हल्का राणेरी द्वारा अपीलाधीन भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जाने पर हुई तब अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 19 दिनांक 7–4–2002 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार कर उप तहसीलदार बाप द्वारा ग्राम अनोपनगर के नामांतरकरण संख्या 19 पर पारित निरस्तीकरण आदेश को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार बाप को ग्राम अनोपनगर के खसरा नंबर 880 मे से रकबा 65 बीघा भूमि का नवीन नामांतरकरण उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 24–1–2001 की पालना मे स्वीकृत करने तथा राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन खसरा नंबर 880 की भूमि प्रांरभ से ही राजकीय गैर मुमकीन मगरा की भूमि जमाबंदी मे दर्ज है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि गैर मुमकीन मगरा की भूमि को कृषि कार्य हेतु किसी को आवंटित ही नही की जा सकती थी । लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना उपखण्ड अधिकारी की आवंटन पत्रावली तलब किये ही पत्रावली को दिनांक 17–6–2016 को न्याय आपके द्वार अभियान मे बिना रेकर्ड का अवलोकन किये सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या संख्या 19 ग्राम अनोपनगर के स्वीकृति के वक्त मूल आवंटन आदेश ही प्रस्तुत नही किया गया तथा छायाप्रति को भी उप तहसीलदार बाप ने संदिग्ध होने का नोट उक्त मूल म्युटेशन पर अंकित किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि ग्राम अनोपनगर के खसरा नंबर 880 की भूमि मे अपीलांटगण के मकान, रहवासीय ढाणियां, टांके इत्यादि बने हुए है, जिससे साफ प्रकट है कि अपीलांटगण व उनके पूर्वज लगातार उक्त भूमि पर बने अपने रहवासीय आवासो मे निवास करते आ रहे है परंतु उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु को कंसीडर किये बिना अभिलेखो का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि सरकारी भूमि का आवंटन उन लोगो को ही किया जा सकता है जो भूमिहीन हो । जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 हिरकनराम तत्कालीन समय मे या उसके बाद भूमिहीन कृषक नही थे उनके ग्राम राणेरी मे खसरा नंबर 911 एवं रामनगर मे 879, 885 मे खातेदारी की भूमि थी इसलिए हिरकनराम को भूमि आवंटित ही नही हो सकती थी और न ही हुई है इसलिए असल आवंटन दस्तावेज पेश नही किये गये परंतु इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश का हवाला देकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है लबकि उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा तो विधि अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था, जिस पर उप तहसीलदार बाप द्वारा सम्पूर्ण जांच कर कथित मूल आवंटन आदेश पेश नही होने एवं फोटो कॉपी को संदिग्ध होने के आधार पर नामांतरकरण संख्या 19 को निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलंब से प्रस्तुत अपील पर पारित निर्णय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कोई आधार या कारण का उल्लेख नही किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी केम्प कोर्ट बाप द्वारा प्रथम अपील संख्या 18/2012 मगनाराम व अन्य बनाम उप तहसीलदार बाप मे पारित निर्णय दिनांक 17–6–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी केम्प बाप द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए तथा प्रकरण की वस्तुस्थिति के बारे मे अवगत कराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता हिरकनराम पुत्र जालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी को

तत्कालीन तहसीलदार फलोदी द्वारा मिसल संख्या 150/1970 दिनांक 21–12–1970 के जरिये ग्राम राणेरी के खसरा नंबर 880 रकबा 576 बीघा भूमि मे से 65 बीघा का नियमन किया गया था । आवंटी हिरकनराम के फौत हो जाने तथा तत्समय रेस्पो0 संख्या 1 व 2 नाबालिग होने से उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही हो सका । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से जानकारी होने पर उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी को जरिये प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज कराने का निवेदन किया । जिस पर उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने बाद जांच के अपीलाधीन भूमि का नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 24–1–2001 को पारित किया, जिसकी पालना मे पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 19 ग्राम अनोपनगर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 24–1–2001 एवं तहसीलदार फलोदी के द्वारा मिसल संख्या 150/70 दिनांक 12–12–70 के नियमन आदेश का उल्लेख करते हुए भरकर पेश किया, जिस पर उप तहसीलदार बाप ने मूल आवंटन आदेश के अभाव मे तथा आवंटन को संदेहास्प्रद होने के नोट के साथ उक्त म्युटेशन को खारीज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार कर उप तहसीलदार बाप द्वारा ग्राम अनोपनगर के नामांतरकरण संख्या 19 पर पारित निरस्तीकरण आदेश को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार बाप को ग्राम अनोपनगर के खसरा नंबर 880 मे से रकबा 65 बीघा भूमि का नवीन नामांतरकरण उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 24–1–2001 की पालना मे स्वीकृत करने तथा राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांटगण ने स्ट्रेन्जर की हैसियत से यह अपील पेश की है, जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे पक्षकार ही नही थे और न ही अपीलाधीन भूमि के खातेदार है इसलिए अपीलांटगण को अपील पेश करने का अधिकार ही नही होने से यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

इसके अलावा रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार फलोदी द्वारा मिसल संख्या 150/70 मे दिनांक 21–12–70 को पारित मूल नियमन आदेश को चुनोती नही दी है तथा यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी फलोदी का आदेश दिनांक 24–1–2001 भी अभी प्रभाव मे है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी ने भी उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 24–1–2001 की पालना का ही आदेश दिया है, जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांटगण की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि गै.मु.मगरा किस्म की भूमि का भी आवंटन हो सकता है इस संबंध मे राज्य सरकार का परिपत्र भी जारी हुआ है इसलिए अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन कि गै.मु.मगरा की भूमि का आवंटन/नियमन हो ही नही सकता यह समर्थन योग्य नही है । अंत मे वकील रेस्पो0 ने अपीलांटगण को अपील पेश करने का अधिकार ही नही होने से इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को खारीज करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय जो विधिसम्मत होने से उसे बहाल रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 19 आदि का अवलोकन किया । पत्रावली एवं रेकडे के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलांट अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि का खातेदार तो नही है परंतु अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटगण के पक्के मकानात, ढाणियां, टांके आदि बने होने तथा अपीलांटगण परिवार सहित उक्त भूमि पर निवास करने के कारण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील इस न्यायालय हाजा मे पेश की है । अपीलांटगण ने अपने कथनो की पुष्टि स्वरूप अपीलाधीन भूमि पर बने मकानात, टांके एवं ढाणियों की फोटो अपील के साथ पेश किये है ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का यह कथन कि उसके पिता हिरकनराम पुत्र जालाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी को तत्कालीन तहसीलदार फलोदी द्वारा मिसल संख्या 150/1970 दिनांक 21–12–1970 के जरिये ग्राम राणेरी के खसरा नंबर 880 रकबा 576 बीघा भूमि मे से 65 बीघा का नियमन किया गया था । आवंटी हिरकनराम के फौत हो जाने तथा तत्समय रेस्पो0 संख्या 1 व 2 नाबालिग होने से उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही हो सका । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से जानकारी होने पर उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी को जरिये प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज कराने का निवेदन किया । जिस पर उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने बाद जांच के अपीलाधीन भूमि का नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 24–1–2001 को पारित किया, जिसकी पालना मे पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 19 ग्राम अनोपनगर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे नामांतरकरण के कॉलम संख्या 14 से 16 मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 24–1–2001 एवं तहसीलदार फलोदी के द्वारा मिसल संख्या 150/70 दिनांक 12–12–70 को नियमन/आवंटन करने पर आदेशानुसार भरकर पेश किया, जिस पर उप तहसीलदार बाप ने मूल आवंटन आदेश के अभाव मे तथा आवंटन को संदेहास्प्रद होने के नोट के साथ उक्त म्युटेशन को खारीज कर दिया जिसके

विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार कर उप तहसीलदार बाप द्वारा ग्राम अनोपनगर के नामांतरकरण संख्या 19 पर पारित निरस्तीकरण आदेश को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार बाप को ग्राम अनोपनगर के खसरा नंबर 880 मे से रकबा 65 बीघा भूमि का नवीन नामांतरकरण उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 24–1–2001 की पालना मे स्वीकृत करने तथा राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित किया है ।

उक्त परिपेक्ष्य मे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है, जिस पर उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 24–1–2001 का अवलोकन करने पर उपखण्ड अधिकारी ने म्युटेशन भरने बाबत कोई स्पष्ट आदेश नही दिया है बल्कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु लिखा गया है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 19 जो कि तहसीलदार फलोदी के द्वारा मिसल संख्या 150/70 दिनांक 12–12–70 को नियमन/आवंटन करने पर पटवारी हल्का ने भरकर पेश किया, जिस पर निरीक्षक भू अभिलेख बाप ने "मूल आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का नोट अंकित किया, परंतु मूल आवंटन आदेश प्रस्तुत न होने से आवंटन की पुष्टि नही होती है, उपखण्ड अधिकारी के आदेश मे पटवारी हल्का की कब्जा काश्त की रिपोर्ट पर नियमानुसार अमल दरामद करने हेतु लिखा है। इस आधार पर आवंटन/नियमन का नामांतरकरण भरा जाना उचित नही है।" की टिप्पणी की है । इसी प्रकार उप तहसीलदार बाप ने भी "मूल आवंटन आदेश अप्राप्त । आवंटन को संदेहास्प्रद होने से तथा मात्र कब्जा के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत नही हो सकता है, के नोट के साथ उक्त म्युटेशन को खारीज किया है, जो विधिसम्मत प्रतीत होता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिजा हिरकनराम को यदि तहसीलदार फलौदी के द्वारा मिसल संख्या 150/70 दिनांक 12–12–70 के द्वारा अपीलाधीन भूमि का नियमन/आवंटन के आदेश हुए भी हो तो हिरकनराम ने इतने लंबे समय तक राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवाने बाबत कार्यवाही क्यो नही की । उप तहसीलदार बाप के समक्ष मूल आवंटन आदेश प्रस्तुत नही किया जाने पर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 19 पर निरीक्षक भू अभिलेख बाप द्वारा की गई टिप्पणी एवं उप तहसीलदार बाप द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–2002 विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय

दिनांक 17–6–2016 समर्थन योग्य नही होने से अपीलाधीन निर्णय को बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–6–2016 निरस्त किया जाता है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 यदि उनके पिता हिरकनराम के पक्ष मे कोई नियमन/आवंटन होना मानते है तो उसके आधार पर वे इसके लिए सक्षम न्यायालय मे घोषणा का दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र है ।

निर्णय आज दिनांक 7–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर